**संख्याः 36/2018/973/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018**

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, यूपीनेडा

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग** **लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2018**

विषयः- प्रदेश के सार्वजनिक/सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में रूफटाप सोलर पावर को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2017 में नीति के संचालन अवधि वर्ष 2022 तक 4300 मेगावाट क्षमता का ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य है। नीति में प्रदेश की समस्त सरकारी/अर्धसरकारी भवनों के रूफटॉप पर रेस्को (रिन्युबल इनर्जी सप्लाई कम्पनी) के द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किया जाना प्राविधानित है।

2- रेस्को मोड के अन्तर्गत कार्यालयों के भवन पर रिन्युबल इनर्जी सप्लाई कम्पनी (रेस्को) द्वारा अपने वित्तीय निवेश से सोलर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयंत्रो की स्थापना की जायेगी। संयंत्र का रखरखाव एवं संचालन पूर्णतः रेस्को द्वारा किया जायेगा। रेस्को द्वारा स्थापित किये जा रहे ग्रिड संयोजित रूफटॉप संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा का 25 वर्ष अथवा उससे कम अवधि हेतु एक नियत टैरिफ पर क्रय सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। उक्त हेतु सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रेस्को के साथ पावर क्रय अनुबन्ध किया जायेगा। रेस्को द्वारा स्थापित संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय को पारम्परिक ग्रिड पावर की आपूर्ति टैरिफ से कम नियत टैरिफ पर उपलब्ध करायी जायेगी। रूफटॉप संयंत्र की स्थापना नेटमीटरिंग प्रणाली पर की जायेगी, जिससे कि कार्यालय भवन द्वारा रेस्को द्वारा स्थापित रूफटॉप संयंत्र से प्राप्त की जा रही सौर पावर खपत से अधिक होने पर सरप्लस पावर ग्रिड में फीड की जा सकेगी, जिसका लाभ सम्बन्धित कार्यालय भवन को माह में प्राप्त हो रहे विद्युत बिल में प्राप्त होगा।

3- सरकारी कार्यालय एवं भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित सरकारी उपक्रम सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी/अर्धसरकारी भवनों पर रेस्को के द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना के लिए सितम्बर, 2017 में आमंत्रित अद्यतन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा रेस्को का चिन्हीकरण करते हुए रू. 3.91 प्रति यूनिट की विद्युत आपूर्ति पर निश्चित की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://Shasanadesh.up.nic.in

4- रूफटाप सोलर पावर संयंत्रों की स्थापना के लिये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की संस्था '' सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया'' द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा चिन्हित रेस्को से रू0 3.91 प्रति यूनिट के टैरिफ से अनाधिक टैरिफ पर ही बिजली क्रय की जाये। यदि भविष्य में दरों में कमी होती है, तो नई परियोजनाओं पर संशोधित दरें ही प्रभावी मानी जायेंगी।

5- सौर ऊर्जा नीति-2017 के क्रियान्वयन के लिए उ0प्र0, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नामित नोडल एजेन्सी है। प्रदेश में सरकारी भवनों/कार्यालयो पर सोलर रूफटॉप संयंत्रो की स्थापना हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अथवा राज्य/भारत सरकार की अन्य नोडल एजेन्सी द्वारा इस शर्त के अधीन निविदा आमंत्रित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा कि निविदा में प्राप्त टैरिफ के रू0 3.91 प्रति यूनिट अथवा जैसा समय-समय पर सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित किया जाये, से अनधिक रहे तथा चयनित रेस्को तकनीकी रूप से कार्य हेतु सक्षम हो। प्रत्येक वर्ष अथवा आवश्यकता होने पर 06 माह के अन्तराल में रेस्को द्वारा संयंत्रो की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए रेस्को एवं टैरिफ (दर) निर्धारित की जायेगी।

6- रेस्को मोड में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना के इच्छुक एवं सर्वेक्षित सरकारी संस्थानो से प्राप्त सहमति एवं निविदा के आधार पर सूचीबद्व किये गये रेस्को कम्पनियो में विभिन्न सरकारी भवनों की परियोजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था के द्वारा यूपीनेडा के स्तर से आंवटन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत रेस्को जिसके द्वारा निविदा में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त होगा, को भवनो के आवंटन में वरीयता देते हुए आमंत्रित निविदा की क्षमता की अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता बनस्पत रेस्को द्वारा निविदा में कोट की गयी क्षमता उक्त से अधिक हो, का आवंटन किया जायेगा। अवशेष रेस्को जिनके द्वारा न्यूनतम टैरिफ मैच किया जायेगा को अवशेष क्षमता समान रूप से आवंटित की जायेगी।

7- ऐसे सरकारी विभाग जो अधिक मात्रा में कार्यालय भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना रेस्को माडल पर कराये जाने के इच्छुक हो, द्वारा अपने स्तर पर, उपलब्ध रेस्को फर्मो के मध्य निविदा के माध्यम से रेस्को का चयन किया जा सकता है।

8- सरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना रेस्को के द्वारा कराये जाने पर ''पावर परचेज एग्रीमेन्ट'' हेतु नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल पावर परचेज एग्रीमेन्ट (संलग्नक-1) पर ही किया जायेगा। स्थापित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र से उत्पादित क्रय की गयी विद्युत का नियत दर पर भुगतान सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा विद्युत बिल के भुगतान मद अथवा विविध मद में प्राप्त बजट से किया जायेगा।

9- उक्त का पालन करते हुए निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

(1) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की सरकारी/अर्धसरकारी भवनों पर रेस्को मोड (अदर पार्टी एक्सपेंडीचर मोड) में स्थापना की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) सरकारी/अर्धसरकारी विभाग द्वारा कार्यालय भवन पर रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना नोडल एजेन्सी उ0प्र0, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा आवंटित रेस्को से नियत दर पर विद्युत आपूर्ति हेतु करायी जा सकेगी।

(3) ऐसे सरकारी विभाग जिनके द्वारा अपने कई कार्यालय भवनों/संस्थानो पर रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रो की स्थापना रेस्को से करायी जानी हो, के द्वारा नोडल एजेन्सी से आवंटित रेस्को कम्पनियों के स्थान पर उपलब्ध रेस्को के मध्य निविदा के द्वारा रेस्को का चिन्हांकन करते हुंए संयंत्रो की स्थापना कराये जाने के विकल्प चुन सकेगें।

(4) सरकारी/अर्धसरकारी विभाग द्वारा रेस्को के साथ निष्पादित पावर क्रय अनुबन्ध के सापेक्ष विभाग अथवा सम्बन्धित कार्यालय/संस्थान को दिये गये विद्युत बिल का भुगतान विद्युत व्यय मद अथवा विविध मद में बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**<u>संलग्नकः यथोक्त</u>**

भवदीय
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।